प्रेस नोट

थाना सीपरी बाजार,झाँसी

दिनांक- 30.09.2025

- **जनपद झाँसी पुलिस द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध की जा रही सख्त कार्यवाही**
- **SP CITY श्रीमती प्रीति सिंह के नेतृत्व में स्वाट एवं थाना सीपरी बाजार पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा हत्या की घटना में नामजद 25-25 हजार के 02 इनामिया वाछिंत अभियुक्त पुलिस मुठभेड़ में घायल/गिरफ्तार, कब्जे से अवैध असलाह कारतूस बरामद।**

कृपया अवगत कराना है कि श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक, कानपुर जोन, कानपुर, श्री आलोक सिंह व श्रीमान पुलिस महानिरीक्षक, झाँसी परिक्षेत्र, झाँसी श्री आकाश कुलहरि के कुशल मार्गदर्शन व वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक झाँसी श्री बीबीजीटीएस मूर्ति के कुशल निर्देशन में जनपद झाँसी में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध झाँसी पुलिस द्वारा की जा रही प्रभावी कार्यवाही के क्रम में आज दिनाँक 30.09.2025 को स्वाट सर्वेलन्स एवं थाना सीपरी बाजार पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा थाना सीपरी बाजार क्षेत्र के ग्राम भोजला भरारी फार्म तिराहा नहर पुलिया के पास से समय करीब 02.20 बजे मुखबिर की सूचना पर मु0अ0सं0- 342/2025 धारा 191(2)/191(3)/190/3(5)/103(1) बीएनएस से सम्बन्धित 02 इनामिया वाछिंत अभियुक्तों को पुलिस मुठभेड़ में अवैध तमंचा व कारतूस सहित गिरफ्तार किया गया है। पुलिस मुठभेड़ में अभियुक्त राहुल यादव पुत्र कैलाश यादव निवासी ग्राम भोजला थाना सीपरी बाजार, झाँसी व नरेंद्र उर्फ कल्लू यादव पुत्र मुन्ना यादव निवासी ग्राम भोजला थाना सीपरी बाजार, झांसी के पैर में गोली लगी, जिससे वह घायल हो गये। घायल अभियुक्तों को हिरासत में लेकर जीवन रक्षा की दृष्टिगत उपचार हेतु अस्पताल भिजवाया गया है। कब्जे से 02 अदद तमंचा 315 बोर, 04 खोखा व 02 जिन्दा कारतूस बरामद हुआ।

गिरफ्तारी/बरामदगी एवं पुलिस मुठभेड़ के सम्बन्ध में थाना सीपरी बाजार में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

संक्षिप्त विवरण –

उल्लेखनीय है दिनांक 08.09.2025 को थाना सीपरी बाजार क्षेत्रान्तर्गत ग्राम भोजला निवासी अरविन्द यादव की हत्या उसी गांव के रहने वाले रिंकू यादव ने अपने साथियों के साथ मिलकर कर दी थी, जिसके सम्बन्ध में थाना सीपरी बाजार पर मु0अ0सं0- 342/2025 धारा

191(2)/191(3)/190/3(5)/103(1) बीएनएस पंजीकृत कर घटना में शामिल 14 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण –

1- राहुल यादव पुत्र कैलाश यादव निवासी ग्राम भोजला थाना सीपरी बाजार, झाँसी उम्र करीब **34** वर्ष

2- नरेंद्र उर्फ कल्लू यादव पुत्र मुन्ना यादव निवासी ग्राम भोजला थाना सीपरी बाजार, झांसी उम्र करीब **35** वर्ष

बरामदगी का विवरण –

02 अदद तमंचा 315 बोर, 04 खोखा व 02 जिंदा कारतूस 315 बोर

आपराधिक इतिहास – **अभियुक्त राहुल यादव पुत्र कैलाश यादव**

1-मु0अ0सं0- 235/2011 धारा 110 जी जा०फौ० थाना सीपरी बाजार

2-मु0अ0सं0- 279/2025 धारा 120बी/147/148/149/302/427 भा०द०वि० थाना सीपरी बाजार

3- मु0अ0सं0- 60/2021 धारा 174ए भा०द०वि० थाना सीपरी बाजार

4- मु0अ0सं0- 206/2025 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना सीपरी बाजार

गिरफ्तारी करने वाली टीम –

1-प्रभारी निरीक्षक थाना सीपरी बाजार मय पुलिस टीम।

2-प्रभारी स्वाट सर्वेलन्स मय टीम।